संख्या-[illegible]/2015/69-1-15-14(190)/2015

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 03 सितम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से शहरी क्षेत्रों में मोटर/बैटरी चालित रिक्शा योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2006/35/76/एच/2013-14, दिनांक 13 अगस्त, 2015 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में मोटर/बैटरी चालित रिक्शा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से मोटर/बैटरी चालित रिक्शों के क्रय, रजिस्ट्रेशन फीस, इन्श्योरेन्स, रोड परमिट व प्रशासनिक मद में निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित रु0 16940427.00 **(रुपये एक करोड़ उनहत्तर लाख चालीस हजार चार सौ सत्ताईस मात्र)** की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-409/2015/894/69-1-2015-14(57)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 में संरक्षित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(धनराशि रुपये में)

क्र0सं0	विवरण	दर प्रति रिक्शा	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों की संख्या (प्रथम फेज)।	स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5
1.	मोटर/बैटरी चालित रिक्शा क्रय करने के मद में।	137727.00	100	13772700.00
2.	रजिस्ट्रेशन फीस, इन्श्यूरेन्स व रोड परमिट मद में।	30000.00	100	3000000.00
3.	प्रशासनिक मद में (कुल धनराशि का 01 प्रतिशत)।		-	167727.00
योग			100	16940427.00

1. उक्त धनराशि का व्यय प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मोटर/बैटरी चालित रिक्शा योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-35/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 24 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग राज्य योजना आयोग/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3. उक्त योजनान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशेष शर्तों का अनुपालन सुता/सुता तथा वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो, वित्त नियंत्रक, सुता का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल शासन व वित्त विभाग को दी जायेगी।
4. उक्त धनराशि शासन द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निर्गत मद में व्यय की जायेगी।

क्रमशः 2

5. उक्त धनराशि जिस मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में किया जाये। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा। रिक्शों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा मोटर/बैटरी चालित रिक्शों की आपूर्ति प्राप्त करने के पूर्व शासन द्वारा तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, सूडा का होगा।

6. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रिक्शा योजनान्तर्गत सम्बन्धित नगर निकायों में पंजीकृत रिक्शा चालकों का चयन निर्धारित कट आफ डेट के अन्तर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त रिक्शा चालकों को उनका पुराना निजी पारम्परिक मानव चालित रिक्शा प्राप्त करने के उपरान्त ही मोटर/बैटरी चालित रिक्शा दिया जायेगा। लाभार्थियों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लाभार्थियों के चयन का दायित्व पूर्ण रूप से निदेशक, सूडा तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) का होगा।

7. सूडा/डूडा द्वारा रिक्शा चालकों से रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त मोटर/बैटरी चालित रिक्शा दिया जायेगा कि रिक्शा चालक द्वारा निःशुल्क प्राप्त किये गये मोटर/बैटरी चालित रिक्शे का संचालन अपने व अपने परिवारजन के भरण-पोषण के निमित्त स्वरोजगार हेतु प्रत्येक दशा में स्वयं ही करेगा। इस रिक्शे को न तो वह किराये पर चलवायेगा और न ही किसी अन्य को विक्रय कर सकेगा। यदि लाभार्थी उक्त घोषणा का उल्लंघन करेगा तो उसका रिक्शा राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा व उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

8. उक्त धनराशि को कोषागार से आहरित करने के पश्चात् निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ व सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, सम्बन्धित मद में व्यय की जायेगी/आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

10. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

12. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत रिक्शों की गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

13. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1/925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

क्रमशः........3

संख्या- 2121/2015/2113 (1)/69-1-15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-3/4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
8. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), उ0प्र0।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
10. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।